रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मई 20—मई 26, 2018, शनिवार/वैशाख 30—ज्येष्ठ 5, 1940
No. 11] NEW DELHI, MAY 20—MAY 26, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 30—JYAISTHA 5, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्ती संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2011 में, : -

(1) नियम-3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

*"3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"*

(2) रक्षा मंत्रालय, सेना कारखाना कैंटीन कर्मचारी (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में, -

(क) **पर्यवेक्षक श्रेणी-2** पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(ii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, letters, figures and brackets "level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix" shall be substituted;

(d) against serial number 4, relating to the post of Civilian Motor Driver Grade (Ordinary Grade),-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Level- 2 (Rs. 19900-63200)";

(ii) in column (6), for existing entries, following shall be substituted ;

"Between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).";

(iii) in column (11), for the words, letters and figures " the Pay Band-1and Grade Pay of Rs. 1800", the words, letters, figures and brackets "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. 41(4)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number S.R.O. 04, dated the18th June, 2014 in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 28th December, 2014.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 35.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडारसंबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती नियम, 2012का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2018है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडारसंबंधी समूह'क' तथा'ख' पद भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में भंडार अधिकारी पद के सामने लिए स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं"।

[सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/भंडार संवर्ग/सी/पी/03/569/डी(आर एण्ड डी)18 दिनांक 23 अप्रैल,2018]

हर्षा रानी, अवर सचिव

नोट : मुख्य नियम, दिनांक 18 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. सा.नि.आ. 94 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए और इसे 30 मई, 2017 की अधिसूचना सं.सा.नि.आ.-48 द्वारा संशोधित किया गया।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012 namely :-

1. (1) **Short title and commencement**.- These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012, against the post of Stores Officer, in column (13), for the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:-

"Consultation, with Union Public Service Commission not necessary".

[No. DHRD/16342/RRs/Store Cadre/C/P/03/ 569/D (R&D/18 dated the 23rd April, 2018]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section-4 vide notification number S.R.O. 94 dated the 18th October, 2012 and amended vide S.R.O.-48 dated the 30th May, 2017.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तकनीकी कॉडर भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभः- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी कॉडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तकनीकी कॉडर भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची - II में क्रम सं. 1 के पद के सामने स्तंभ (4) के क्रम सं. 4 के पद के लिए पूर्व के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनिवार्य

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; और

(ii) वांछित क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र; अथवा यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उस क्षेत्र में प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करते हैं तो वांछित क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम-से-कम एक वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र; अथवा वांछित क्षेत्र में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र; अथवा वांछित क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र ।

[फा. सं. डीएचआरडी/76237/डीआरटीसी/एसआरओ/सी/एम/01/16/635/डी रक्षा(अनु. एवं वि.)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, का.नि.आ. 296, तारीख 5 दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित किया गया तथा इसे अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किया गया है :-

1. का.नि.आ. 50, दिनांक 12-02-2002
2. का.नि.आ. 147, दिनांक 28-06-2002
3. का.नि.आ. 33, दिनांक 29-02-2008
4. का.नि.आ. 13, दिनांक 20-01-2014